मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 29 फरवरी, 2012 (फाल्गुन 10, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड जिले के अटेर चम्बल घाट पर पेन्टून पुल न बनाये जाने से उत्पन्न स्थित की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुरेन्द्र सिहं गहरवार, सदस्य, सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र स्थित कुरी बांध का पुनर्निर्माण न होने एवं घटते जल स्तर से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, बैतूल जिले के -

(क) ग्राम वारव्ही एवं जावरा के हाई स्कूलों का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम टिपनापुर घोघरा, डोमरी एवं जुनावली में तापती नदी पर स्टाप डेम निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम खड़ला की छिंदबंद, मदपानी, बाघनाला स्टाप डेम निर्मित कराये जाने,
(घ) ग्राम हिबरा के हाई स्कूल का भवन निर्माण कराये जाने,
(ड.) अठनेर विकासखण्ड में ग्राम जावरा धनौरी में पानी की टंकी निर्माण कराये जाने, तथा
(च) ग्राम बाकुड़ डेम की नहर को हिबरा, डोड खेड़ा तक बढ़ाये जाने,

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर शहर के -

(क) वार्ड क्र. 17 में सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) वार्ड क्र. 32 में पेयजल आपूर्ति कराये जाने,
(ग) वार्ड क्र. 32 में सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) वार्ड क्र. 4 चंद्र नगर में सड़क निर्माण कराये जाने,
(ड.) बैजनाथ की चक्की से कलेक्टर सिंह के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(च) वार्ड क्र. 4 चंद्र नगर में वीरेन्द्र श्रीवास्तव के घर से मानपाल के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
(छ) ओल्ड खेरापति कालोनी में नियमित जल आपूर्ति कराये जाने,

(3) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम पंचायत भूरा से एन.एच. वारा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम सामरखों के तालाब की मरम्मत कराये जाने,
(ग) ग्राम सामरखों से गोलाखेड़ा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम कोदियापुरा स्थित तालाब का गहरीकरण कराये जाने,
(ड.) ग्राम लसूड़ल्यागुर्जर में पेयजल टंकी का निर्माण कराये जाने, तथा
(च) ग्राम होड़ाहेड़ी में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(4) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य, रायसेन जिले के -

(क) ग्राम कायमपुर में कुआं निर्माण कराये जाने,

(ख) ग्राम दिवानगंज में शा. यूनानी औषधालय के स्टाफ हेतु क्वाटर्स बनाये जाने, तथा

(ग) ग्राम कायमपुर (भील टोला) के हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय किये जाने,

(5) श्री रामखेलावन पटेल, सदस्य, सतना जिले के -

(क) ग्राम मर्यादपुर, सगौनी, गोविन्दपुर, धोबहट तथा कोंतर के शा. हाई स्कूलों का उन्नयन कराये जाने,

(ख) विकास खण्ड रामनगर के बकुरा, खोमरहा, भितरी तथा सरिया से हरियरी ग्रामों का सड़क निर्माण कराये जाने, तथा

(ग) विकास खण्ड रामनगर के ग्राम मझटोलवा, मर्यादपुर, ताला में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कराये जाने,

(6) श्री कमलेश जाटव, एडवोकेट, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम बरबाई, बुधारा, रजौघा एवं पोरसा में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने,

के संबंध याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे .

4. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1) तथा 223-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2012-2013 के लिए क्रमश: लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से ग्यारह-ग्यारह सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों."।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि –

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2012-2013 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 1 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश वासस्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 2 सन् 2012) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2012-2013 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 28 फरवरी, 2012